

भारत सरकार
इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 497

जिसका उत्तर 1 दिसम्बर, 2021 को दिया जाना है।

10 अग्रहायण, 1943 (शक)

आधार कार्ड में गलतियां

497. श्री हिबी ईडन :

क्या इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने इस तथ्य को ध्यान में लिया है कि ऑपरेटर देश भर में आधार कार्ड के लिए आवेदन करने/अपडेट करने वाले लोगों का डेटा दर्ज करने/रिकॉर्ड करने में गलतियां कर रहे हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है;
- (ख) क्या भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने ऑपरेटरों को प्रशिक्षण देकर सुधारात्मक उपायों पर जोर देने के साथ नामांकन केंद्र और यूआईडीएआई डेटा केंद्र में मजबूत गुणवत्ता जांच और प्रक्रिया की स्थापना की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या यूआईडीएआई की योजना एक ही आवेदन को स्वीकार करके किसी नागरिक के सभी दस्तावेजों और प्रमाण-पत्रों में एक साथ संशोधन या अद्यतन करने की है और यदि हां, तो तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और दस्तावेजों की सूची क्या है जिन्हें बिना किसी विशेष आवेदन के एक ही समय में अद्यतन या संशोधित किया जा सकता है; और
- (घ) क्या आधार सहित किसी व्यक्ति के विभिन्न दस्तावेजों में एक ही समय में सुधार की सुविधा के प्रस्ताव को राज्यों द्वारा अनुमोदित किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (श्री राजीव चंद्रशेखर)

(क) और (ख): जी, हाँ। आधार सेवा केंद्र सहित कुछ केंद्रों में ऑपरेटरों द्वारा की जा रही टाइपिंग त्रुटियों से सरकार अवगत है। यूआईडीएआई ने सिस्टम में सुधार और त्रुटियों को कम करने के लिए सभी एनरोलमेंट किट में दो स्क्रीन का प्रावधान किया है। आधार के लिए नामांकन करने वाला निवासी अपने सामने रखे गए स्क्रीन पर (अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषा में) अपने आधार में दर्ज जनसांख्यिकीय विवरण की जांच कर सकता है और गलत दर्ज होने पर ऑपरेटर से सही जानकारी दर्ज करने के लिए कह सकता है।

इसके अलावा, यूआईडीएआई के पास समय-समय पर अपने ऑपरेटरों के प्रशिक्षण/कौशल वृद्धि द्वारा त्रुटियों को कम करने के लिए एक व्यापक कार्यक्रम है। तदनुसार, यूआईडीएआई ऑपरेटरों द्वारा गलतियों को कम करने के लिए पूर्ण सावधानी बरतता है। इसके अलावा, गुणवत्ता जांच के लिए निवासी द्वारा प्रस्तुत किए गए अनुरोधों का बैक एंड पर विभिन्न प्रक्रियाओं के माध्यम से सत्यापन किया जाता है और किसी भी गलती का पता चलने पर, यूआईडीएआई रजिस्ट्रार और ऑपरेटर के खिलाफ <https://uidai.gov.in/images/resource/Policy-for-enforcing-process-guidelines-dated-24-03-2021.pdf> लिंक के तहत उपलब्ध "आधार (नामांकन और अद्यतनीकरण) विनियम 2016, लागू करने, प्रक्रियाओं, मानक, दिशानिर्देश, डेटा गुणवत्ता और भ्रष्ट/धोखाधड़ी प्रक्रिया युक्त नीति" के अनुसार कार्रवाई करता है। रजिस्ट्रार और नामांकन ऑपरेटरों के खिलाफ कार्रवाई में ऑपरेटर का निलंबन और रजिस्ट्रार पर वित्तीय निरुत्साहन लगाना शामिल है।

(ग) और (घ): जी, नहीं। वर्तमान में, आधार में डेटाबेस को अपडेट करते समय अन्य दस्तावेजों में आधार धारक के डेटा में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

आधार प्रणाली में एक केंद्रीय भंडार में देश के सभी आधारधारकों का डेटा होता है। इसे न्यूनतम डेटा कैप्चर करने के लिए डिज़ाइन किया गया है ताकि केवल पहचान संबंधी कार्य (जारी और अधिप्रमाणन) प्रदान किया जा सके। आधार प्रणाली को विभिन्न डेटा को एकत्रित करने और पूल करने के लिए डिज़ाइन नहीं किया गया है और इसलिए यह निवासियों के बारे में पूर्ण ज्ञान रखने वाला एक केंद्रीय डेटा भंडार नहीं है। इसकी किसी अन्य प्रणाली से कोई लिंकेज जानकारी (जैसे पैन, ड्राइविंग लाइसेंस, पीडीएस कार्ड, ईपीआईसी नंबर) नहीं है। इस डिज़ाइन ने लेन-देन डेटा को फ़ेडरेटेड मॉडल में विशिष्ट सिस्टम में रहने की अनुमति दी।
